बिहार के विद्युत संयंत्रों को की गई घटीया कोयले की आपुर्ति

477. **श्री राम जेठमलानी**: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की:

(क) क्या बिहार राज्य की विद्युत परियोजनाओं को घटिया कोयले की आपुर्ति किये जाने के आपोप सरकार के सामने आये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन आरोपों का ब्यौरा क्या है तथा क्या सरकार ने इन आरोपों की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है तथा इन अनियमितताओं के लिए किन किन लोगों को जिम्मेदार पाया गया है, और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह):(क) से (ग) बिहार राज्य विद्युत बोर्ज ने ईस्टर्न कोलफील्डस लि. के मुग्मा सालनपूर क्षेत्र से दिनांक 28.7.1997 को प्रेषित उस रेक में कोयला की निम्न गुणवत्ता के बारे में शिकायत की है, जो दिनांक 1.8.1997 को बिहार राज्य बिद्युत बोर्ड के मुजफ्फपूर तापीय विद्यूत गृह में पहंचा था।

कोयले की गुणवत्ता संबंधी विवाद का निफ्टारा करने हेतु यह निर्णय लिया कि रेक से कोयले के नमुने लिए जाने चाहिए तथा केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर में इनका विश्लेवण किया जाना चाहिए। जांच परिणाम से इस बात की पुष्टि हो गी कि कोयला निम्न गुणवत्ता का था। इस निष्कर्ष के परिणास्वरूप, ई.को.लि. प्रबंधन को निर्देश दिया गया कि वे मुजफ्फरपूर ता.वि. गृह यार्ड से रेक वापस गंगवाएं तथा इस रेक से संबंधित रेलवे को देय सभी विलंब शुल्क तथा अन्य लागत/शुल्क का पुर्ण उत्तर दयित्व स्वीकार करें।

ई. को. ली. / को.ई.लि. के प्रबंधन को कोयला कंपनी के नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का सुझाव दिया गया है। सालनपूर क्षेत्र महाप्रबंधक, बोंजेमेंहारी एजेंन्ट. साइडिंग के प्रभारी तथा सालनपूर क्षेत्र के क्षेत्रीय बिक्री अधिकारी को निलंबन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कोलया नियंत्रक के कार्यालय से भी संबद्ध अधिकारियों के विरुद्ध इसी प्रकार की कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया गया है।

Expenditure incurred by CIL on litigation

478. SHRI SATISH PRADHAN: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) what is the total expenditure incurred by CIL on litigation during the last three years, subsidiary-wise;

(b) the reasons for abnormal increase in expenditure on litigation;

(c) whether New Panel of Advocates/ Legal Advisors have been overdue, action taken in this regard; and

(d) whether Government have taken fresh initiatives for revamp of Legal Cells to ensure cost effectiveness, details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) Total expenditure incurred by CIL during the last 3 years (subsidiary-wise) is as under:—

(Figs, in Rs. Lakhs)

Company	1994-95	1995-96	1996-97
ECL	47.62	57.23	55.12
BCCL	67.44	61.32	65.13
CCL	30.39	40.94	31.10
NCL	10.54	9.50	16.21
WCL	21.45	21.24	36.93
SECL	43.71	56.87	37.75
MCL	51.19	48.47	50.09
CMPDIL	1.93	1.92	2.20
NEC/ CIL(HQ)	15.54	10.34	22.21
TOTAL:	319.81	307.83	316.74

(b) There is no abnormal increase in expenditure on litigation as could be seen from the table above. However, some variations between year to year is unavoidable as expenses depend on the number and nature of cases CIL/ Subsidiaries have to handle.

(c) Advocates are kept on panel based on exigencies and requirement but there is no fixed tenure for the panel.